संख्या-157/2022/1598/22-2-2022-17(981)/21

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2022

विषय:-जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमित शर्मा पुत्र श्री रामस्नेही शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703 /प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अमित शर्मा पुत्र श्री रामस्नेही शर्मा, जो ग्राम शिव कॉलोनी यमुनानगर, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। दिनांक 12.08.2004 को 04 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुस कर लूट पाट की और पूनम नामक महिला की हत्या कारित की गयी। पूनम के पिता द्वारा घटना को संदिग्ध मानते हुए दिनांक 14.08.2004 को एक प्रार्थना-पत्र कोतवाली देहात बुलन्दशहर को तथा दूसरा प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.10.2004 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर को प्रस्तुत किया, जिसमें पूनम के पिता ने अपनी पुत्री पूनम की हत्या का आरोप उसके पति अमित शर्मा व सास कुसुमलता पर लगाया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-305/2005 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय, कक्ष सं0-17, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 02.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.01.2021 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा यथावत रखा गया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने एवं अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी की आयु 43 वर्ष होने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किए जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमित शर्मा (बन्दी संख्या-609/2018) पुत्र श्री रामस्नेही शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-157/2022/1598(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फिरोजाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in